भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-36
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

निजी विद्यालयों पर यूनेस्को की रिपोर्ट

36. श्री जुगल किशोर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में पिछले आठ वर्षों के दौरान स्थापित प्रत्येक दस नए स्कूलों में से सात निजी स्वतंत्र स्कूल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि इन स्कूलों की ट्यूशन की दर में भारी वृद्धि हुई है;
(ग) यदि हाँ, तो सभी को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा; और
(घ) गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे से सुसज्जित सरकारी स्कूलों का अनुपात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) विकसित की है। यूडाइज़+ 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक देश में स्थापित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 33869 में से 24403 है। देश में सरकारी स्कूल 69% से अधिक हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना, बंद करना और उन्हें सुव्यवस्थित करना संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार

क्षेत्र में आता है। अतः, निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस और उससे जुड़े मामलों को संबंधित राज्य सरकारों के नियमों और निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

तथापि, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत, छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में दुर्लभ वर्ग और अलाभित समूहों के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटों का आरक्षण और ऐसे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने को अधिदेशित करती है। साथ ही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13 के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रति व्यक्ति शुल्क की वसूली पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

(ग) और (घ): केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें और निःशुल्क वर्दी, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा आदि प्रदान करने सहित सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरणों और सहायता के लिए भी वित्तीय मदद प्रदान की जाती है।

पीएम श्री योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। पीएम श्री स्कूलों का चयन चुनौती पद्धति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्कूल आदर्श स्कूल बनने के लिए सहायता हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं।

पीएम श्री योजना का उद्देश्य पीएम श्री स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता, अवसंरचना और छात्र परिणामों में वृद्धि करना है। अधिगम संवर्धन कार्यक्रम (एलईपी) जैसी गतिविधियाँ कक्षा 6-12 के छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण पर केंद्रित हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी छात्र आवश्यक योग्यता स्तरों को पूरा करते हैं। शैक्षणिक कौशल को बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण सहित नियमित शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। योग्यता-आधारित मूल्यांकन और समग्र रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत छात्रों के समग्र

मूल्यांकन को सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जैसे कार्यक्रम विज्ञान और गणित सर्किल के माध्यम से नवोन्मेषी शिक्षण, प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन, तथा एसटीईएम शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए अनुभावात्मक यात्रा हेतु प्रोत्साहित करते हैं।

बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, पीएम श्री स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट कक्षाएं, पुस्तकालय, फर्नीचर और खेल के मैदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अटल टिंकरिंग लैब्स और स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल शिक्षण उपकरण आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा हेतु सहायता करते हैं। एलईडी प्रकाश व्यवस्था, कम्पोस्ट सुविधाएं और औषधीय उद्यानों की शुरूआत जैसे प्रयास पर्यावरण अनुकूल "हरित विद्यालय" का निर्माण करते हैं।

पाठ्यक्रम, अवसंरचना और मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीबीएसई ने स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ) तैयार किया है। एसक्यूएएएफ व्यक्तिगत और संस्थागत उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मानकों और सर्वोत्तम पद्धतियों का एक समूह है।

*****